अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्तिमडिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास–रामसिंह राजावतआर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्टे–ट्रेक) बॉदीकुई

उनवान– सुवालाल बनाम ओमप्रकाश वगै.

दावा बाबत– तकास्मा एवं हुकम इम्तनाई

मु. नं. 25/2020 न्यायालय हाजा मे दर्ज प्रकरण संख्या 152/2023

आदेश है कि वाके रामा सोडाला पटवार हल्का अनन्तवाडा तहसील बसवा जिला दौसा के नये खाता संख्या 29 पुराने 23 के आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.03 हैक्टे गैर मुमकिन खडडा खसरा नम्बर 68 रकवा 0.030 हैक्टेयर चाही 2, जाव 2 खसरा नम्बर 74 रकबा 0.42 हैक्टेयर चाही जाव 3, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.06 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टेयर बारानी , खसरा नम्बर 81 रकबा 0.15 हैक्टे. बारानी, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टे. बजड, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.05 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 85 रकबा 0.07 हैक्टे. चाही–3 जाव 3, खसरा नम्बर 87 रकवा 0.09 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 89 रकबा 0.09 हैक्टे बारानी ए. खसरा नम्बर 90 रकवा 0.35 हैक्टे बारानी एक खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 92 रकबा 0.11 हैक्टे. चाही 3, जाव 3 खसरा नम्बर 93 रकबा 0.12 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 94 रकबा 0.14 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.20 हेक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 96 रकबा 0.17 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 97 रकबा 0.08 हैक्टे बारानी ए. खसरा नम्बर 98 रकबा 0.13 हैक्टे बरानी ए. कुल किता 22 कुल रकबा 3.25 हैक्टे. ग्राम सोडाला पटवार हल्का अनन्तवाडा के नये खाता संख्या 123 पुराने 108 मे आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.32 हैक्टे. चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.23 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.10 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नम्बर 73 रकबा 0.54 हेक्टै. चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 86 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 1.24 हैक्टे मे तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 2328 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाकर वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुरैजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो।

निज..............................मुबलिग...बाबत्...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.....0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...0 का अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01माह 07 सन् 2024 को जारी की गई।

01.7.24

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बॉदीकुई

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर [illegible] मुतफरिक मीजान	निल	निल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ओहदा 01/7/24

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

मु. नं. 25/2020
न्यायालय हाजा मे दर्ज प्रकरण संख्या 152/2023
निर्णय दिनांक 01/07/2024

उनवान

01. सुवालाल पुत्र श्री किशन
02. रामावतार पुत्र श्रीकिशन
03. नरेश
04. विष्णु } मांगीलाल
05 रिंकु

} पिसरान समस्त जाति खाती निवासी ग्राम सोडाला

:– प्रार्थीगण

बनाम

01. ओमप्रकाश
02. बनवारी
03. रामकरण
04. रामेश्वर
05. सीताराम

} पिसरान जोहरया कौम खाती जांगिड निवासी सोडाला

06. ओमवती पुत्री जोहरया जाति खाती जांगिड निवासी सोडाला
07. कमला देवी पत्नी मोहन सिह जाति गुर्जर निवासी सोडाला
08. प्रेमदेवी पत्नी सज्जन सिंह
09. रूकमणी पत्नी श्री किशन } कोम गुर्जर निवासी सोडाला तहसील बांदीकुई
10. गुलाब पत्नी रामनारायण

प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा हाल बांदीकुई।
12. स्टेट बैक आफ इण्डिया शाखा बांदीकुई

तरतीबी प्रतिवादीगण :–

दावा तकास्मा एवं हुकम इम्तनाई

::–निर्णय–::

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा तकास्मा एवं हुकम इम्तनाई जर्ये वकील न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट में पेश किया गया था। जो शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ संक्षिप्त मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके रामा सोडाला पटवार हल्का अनन्तवाडा तहसील बसवा जिला दौसा के नये खाता संख्या 29 पुराने 23 के आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.03 हैक्टे गैर मुमकिन खडडा खसरा नम्बर 68 रकबा 0.030 हैक्टेयर चाही 2, जाव 2 खसरा नम्बर 74 रकबा 0.42 हैक्टेयर चाही जाव 3, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.06 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टेयर बारानी , खसरा नम्बर 81 रकबा 0.15 हैक्टे. बारानी, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 83 रकबा 0.01 हैक्टे. बजड, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.05 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 85 रकबा 0.07 हैक्टे. चाही–3 जाव 3, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.09 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 हैक्टे. चाही 3 जाव 3 खसरा नम्बर 89 रकबा 0.09 हैक्टे बारानी ए. खसरा नम्बर 90 रकबा 0.35 हैक्टे बारानी एक खसरा नम्बर 91 रकबा 0.37 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 92 रकबा 0.11 हैक्टे. चाही 3, जाव 3 खसरा नम्बर 93 रकबा 0.12 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 94 रकबा 0.14 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.20 हेक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 96 रकबा 0.17 हैक्टे. बारानी ए. खसरा नम्बर 97 रकबा 0.08 हैक्टे बारानी ए. खसरा नम्बर 98 रकबा 0.1[illegible] हैक्टे बारानी ए. कुल किता 22 कुल रकबा 3.25 हैक्टे. जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण शामिलात हिस्सा के खातेदार काश्तकार का अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाद के साथ पेश है। ग्राम सोडाला पटवार हल्का अनन्तवाडा के नये खाता संख्या 123 पुराने 108 मे आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 0.32 हैक्टे. चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.23 हैक्टे. चाही 2 जाव 2, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.10 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नम्बर 73 रकबा 0.54 हेक्टै. चाही 2 जाव 2 खसरा नम्बर 86 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 1.24 हैक्टे.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

लगानी 32 स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण एवं दावे मे बनाये गये प्रतिवादी गण 7 एवे 8 का बतौर खातेदार काश्तकार अंकन दर्ज है। खातेदार पुत्र छोटी देवी बेवा मांगीलाल कौम खाती की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 पूर्व से अभिलेख पर मौजुद है। वादग्रस्त भूमि का अभितक विधिवत तकास्मा नही हुआ है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत 5 दावे मे बनाये गये प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 8 ने वादग्रस्त भूमि को मौके पर हस्ब राजस्व रिर्कोड हिस्से अनुसार बाहमी रूप से विभाजित किया हुआ है और प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते हुए मुस्तफीद होते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नही होने के कारण प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो मे भूमि के उपयोग उपभोग मे आने जाने फसल कटाई, निलामी को लेकर अक्सर छोटी मोटी बातो पर विवाद उत्पन्न होता रहता है और ना ही प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के कानूनी विभाजन के अभाव मे अपने हिस्से मे आयी भूमि मे अच्छे उर्वरक अच्छे कृषि यत्रो का उपयोग नही कर पाते है। प्रार्थीगण के शान्ती पूर्वक कब्जे काश्त मे कोई अन्चाहा बेवजह कलह नही हो इस हेतु प्रार्थीगण ने जुमले विपक्षीगण से वादग्रस्त भूमि मे विधिक विभाजन के लिये आपसी सहमति से दावे मे बनाये गये प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार बसवा के यहां करवाने के लिये दिनांक 04.01.2020 को की तो इन्कार हो गये इस कारण दावा तकास्मा पेश कराना आवश्यक हुआ है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मय हस्ब राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त के आधार पर सरस–नरस तकास्मा किया जाकर अलग–अलग खाते खतौनी अलग–अलग जमाबन्दी पास बुक बनायी जावे। वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवाई गई। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2023 नियत थी। उक्त प्रकरण मे दिनांक 20.7.2022 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वादी वकील भी उसी दिन पेश हुये प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तकास्मा करने हेतु सहमती प्रकट की गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। दावा दिनांक 27.7.2023 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई से कुर्रेजात भिजवाने हेतु आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक भू.अ. /2024/2328 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा न्यायालय हाजा में कुर्रेजात भिजवाये गये। प्रकरण अवलोकन कुर्रेजात में रखा गया। प्राप्त कुर्रेजात पर वादी वकील द्वारा कुर्रेजात अनुसार विभाजन करने की सहमति प्रकट की गई पत्रावली आदेश पर नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 25.6.2024 को प्रतिवादी बनवारीलाल सीताराम पुत्रान जोहरी लाल द्वारा एकतरफा कार्यवाही हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा एवं आपत्ति कुर्रेजात बाबत पेश किया। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही हटाने बाबत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश किया गयाः– प्रतिवादी संख्या 2 ओर 5 बाहर अपने परिवार सहित निवास करता है प्रतिवादी की तामिल वाले रजि. लिफाफा पर पोस्ट मैन द्वारा स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि प्राप्त करता लिखे पते पर नही रहता है बाहर रहता है परन्तु श्रीमान अदालत द्वारा प्रतिवादी 2 व 5 की दिनांक 28.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी है। जो कानून गलत की है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण 2 से 5 से पटवारी हल्का द्वारा गुमराह करते हुऐ कुर्रेजात पर हस्ताक्षर करवाये है पटवारी हल्का द्वारा यह भी बताया गया कि मौके पर बटवारा हेतु कुर्रेजात पर हस्ताक्षर करवाये है क्योंकि प्रति0 संख्या 2 और 5 बाहर परिवार सहित रहते है प्रतिवादी संख्या 2 1980 से जयपुर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है जो वरवक्त तामिल पर मौजुंद नही था जिसकी रिपोर्ट पोस्ट मैन ने सही की है। और प्रतिवादी संख्या 5 अलवर पंडिताई का कार्य करता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 5 इकतरफा कार्यवाही दिनांक 28/9/2022 को निरस्त फरमाते हुये प्रतिवादीगण को सुनने व जवाब पेश करने का अवसर कानून प्रदान करावे। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 सगे मां जाये भाई है और सम्मिलित परिवार गांव में रहते है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में कानूनी प्रकिया विधि अनुसार प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये उसके पश्चात हाजीर अदालत नही होने पर न्यायालय हाजा ने प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश फरमाये। जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किा गया उसके बावजुद भी प्रतिवादीगण हाजीर अदालत नही आये उक्त प्रकरण की प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 को बखूबी जानकारी दावा पेश करने से लगातार रही है प्रतिवादीगण ने जानबूझ कर पोस्ट मैन से मिलकर गलत रिपोर्ट अंकन करवाई है। जबकी प्रतिवादी संख्या 2 व 5 सगे मां जाये भाई की तामिल होने के बावजुद भी हाजीर अदालत उपस्थित नही हुये। न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण को तलब करने की विधि अनुसार प्रकिया अपना कर उनके विरूद्ध कानूनी तोर पर इकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश [illegible] होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर मुकदमे को लम्बा करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश [illegible] कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। कुर्रेजात को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर ही [illegible] कराये है सारे आरोप गलत अंकित किये गये है। दिनांक 28.9.2022 को इकतरफा आदेश को निरस्त [illegible] का कोई ठोस प्रमाण पत्र नही है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा [illegible] जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी व 5 सीताराम की तलबी जर्ये रजिस्टर्ड समन दिनांक 16.03. 2020 को की गई पत्रावली में लिफाफे मोजुद है। जो न्यायालय मे वापिस प्राप्त हुये है उसके बाद पुनः प्रतिवादी

सहायक [illegible] एवं
[illegible] मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रक) बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 व 5 की तलबी रजिस्र्ड समन दिनांक 21.07.2022 को करवाई गई जिसके बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 2 व 5 उपस्थित नही होने से दिनांक 28.9.2022 को उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में दिनांक 27.07.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है पत्रावली में कुर्रेजात प्राप्त होने के बाद कुर्रेजात आदेश पर नियम है। प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही हटाये जाने का पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में कुर्रेजात प्राप्त हो चुके जिस पर बनवारी एवं सीताराम के हस्ताक्षर मौजुद है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त कुर्रेजात पक्षकारान की मौजुदगी में तैयार किये गये है। प्रकरण एकपक्षीय कार्यवाही हटवाने का प्रार्थना पत्र खारिज होने से प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रेजात पर सुना जाना उचित नही है।

वादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री में वादी संख्या 1,2 के पिता का नाम एवं प्रतिवादी संख्या 6 बेवा के स्थान पर पिता का नाम संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना स्वीकार योग होने स्वीकार किये जाते लाल स्याही से प्राथमिक निर्णय में वादी संख्या 1,2 के पिता का नाम श्रीकिशन दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 ओमवती के बेवा के स्थान पर पुत्री दर्ज किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार बादीकुई के पत्र कमांक/ भू.अ./2024/2328 दिनांक 21.05.2024 द्वारा कुर्रेजात प्राप्त हुये। न्यायालय द्वारा तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजातों का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

प्रस्तावित कुर्रेजात				
क्र.स.	नाम खातेदार	खं.न.	रकबा	किस्म
1	रामावतार , मांगीलाल पुत्र श्री किशन 2/3 जाति खाती बिना रहन सुवालाल पुत्र श्री किशन 1/3 हिस्सा जाति खाती रहन एसबीआई शाखा बांदीकुई	66	0.03	
		68/3	0.06	
		74	0.42	
		80/2	0.01	
		81/2	0.07	
		83	0.01	
		88	0.26	
		89	0.09	
		90/1	0.17	
		91/1	0.05	
		92	0.11	
		96/2	0.08	
		97	0.08	
		98	0.013	
		कुल किता 14	कुल 1.57	
2	ओमप्रकाश, बनवारी, रामेश्वर, सीताराम पिता जोहरा ओमवती पुत्री जोहरा जाति खाती सा. देहखातेदार	68/2	0.15	
		80/1	0.01	
		81/1	0.08	
		84	0.05	
		85	0.07	
		[illegible]	0.05	
		87	0.09	
		[illegible]	0.32	
		[illegible]	0.12	
		[illegible]	0.2	
		96/1	0.09	
		कुल किता 11	कुल 1.23	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

	प्रस्तावित कुर्रेजात			
क्र.स.	नाम खातेदार	खं.न.	रकबा	किस्म
3	गुलाब देवी पत्नी रामजीलाल हिस्सा 1/2 रूकमणी पत्नी श्री कृष्ण जाति गुर्जर सा. बासडा खातेदार	90/2	0.18	
		68/1	0.09	
		कुल किता 02	कुल 0.27	
4.	रामावतार, मांगीलाल पिता श्री किशन हिस्सा 1/3 बिना रहन सुवालाल पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/6 राहिन एसबीआई शाखा बांदीकुई, ओमप्रकाश, बनवारी, रामेश्वर, सीताराम पिता जोहरा, ओमवती पुत्री जोहरा हिस्सा 1/2 जाति खाती सा. देह	75	0.06	
		82	0.0.3.	
		94	0.14	
		कुल किता 3	कुल 0.23	
5	कमला देवी पत्नी मोहन सिंह हिस्सा 1/2 प्रेम पत्नी सज्जनसिंह हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह	73	0.54	
		69/1	0.3	
		कुल किता 2	कुल 0.57	
6	रामावतार पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/3 नरेश, विष्णु,रिंकू पिता मांगीलाल छोटी पत्नी मांगीलाल हिस्सा 1/3 जाति खाती बिना रहन सुवालाल पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/3 जाति खाती सा. देह राहित एसबीआई शाखा बांदीकुई	67	0.32	
		68/2	0.2	
		कुल किता 02	0.52 .	
7	कमला देवी पत्नी मोहन सिंह हिस्सा 1/4 प्रेम पत्नी सज्जनसिंह हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर छोटी पत्नी मांगीलाल नरेश विष्णु ,रिंकू पिता मांगीलाल हिस्सा 1/6 रामावतार पुत्र किशन हिस्सा 1/6 बिना रहन सुवालाल पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/6 जाति खाती राहिन एसबीआई शाखा बांदीकुई	72	0.10	
		कुल किता 01	0.10	

कुरैजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 01.07.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

01/7/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 17:57:09 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट ट्रेक)